Rajasthan Police	कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त, साईबर पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर —:प्रेस नोट:—	

दिनांक 24.08.2024

व्यापारी को डरा — धमका कर 1.13 करोड़ रुपये लेने वाले प्रकरण में 2 आरोपी गिरफ्तार

घटना विवरण — प्रार्थी एक्सपोर्ट के व्यवसायी ने अपने साथ हुई साईबर ठगी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की। दरियाफ्त पर बताया कि मुल्जिमानों ने मुझे मेरे वॉट्सएप पर फोटु व मैसेज भेज कर डरा—धमका कर करीब 1.13 करोड़ रूपये एंठे लिये। जिस पर वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 07/2024 पुलिस थाना साईबर में दर्ज कर तफ्तीश शुरू की गई।

कार्यवाही पुलिस — श्रीमान राजेन्द्र सिंह पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर आयुक्तालय जोधपुर द्वारा साईबर अपराध की बढती घटनाओं और विभिन्न प्रकार से साईबर एरेस्ट करने वालो की बढती संख्या को गंभीरता से लेते हुए श्री धन्ना राम अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध एवं सतर्कता तथा जयराम मुण्डेल प्रभारी साईबर पुलिस थाना को इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश मिलने पर उक्त प्रकरण मे प्रार्थी एक्सपोर्ट के व्यवसायी को साईबर एरेस्ट कर मैसेज व कॉल कर डरा व धमकाने पर प्रार्थी द्वारा जमा कराये गये रुपये गुजरात के उना जिले का एक फर्जी खाता प्रयुक्त हुआ था। जिसकी तलाश करते हुए मन जयराम मुण्डेल, सहायक पुलिस आयुक्त ने उना जिले के रहने वाले चन्द्रकान्त पुत्र श्री रामजी भाई निवास कंसारी पुलिस थाना उना गुजरात को गिरफ्तार किया जाकर पुलिस अभिरक्षा में लेकर उसे साथ लेकर अन्य शरीक मुल्जिमानों की तलाश गुजरात के अन्य जिलों सुरत, राजकोट व बड़ौदा में की गई। सुरत से चन्द्रकान्त के सहयोगी महेश किडेचा पुत्र श्री हसमुख भाई सुरत गुजरात को गिरफ्तार किया जाकर गहन पुछताछ की गई। आरोपी के मोबाईल की जांच की गई तो प्रकरण हाजा में प्रयुक्त फर्जी खाता तिरूपती एन्ट्रप्राइजैज खाता धारक चन्द्रकान्त व महेश ने फर्जी तरीके से अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रुपये जमा करवाने के लिए उपयोग लीया जिसमें प्रार्थी के लाखों रुपये जमा करवायें और उन रुपयों को अपने मौज — शौक मै उड़या। दोनों हि आरोपी ये काम पिछले कई महीनों से लगातार करते आ रहे और कई खातों में फर्जी तरीके से रुपये जमा करा कर मौज — शौक के लिए प्रयुक्त करते है।

तरीका वारदात — आरोपीयों के द्वारा कई व्यक्तियों को विश्वास में लेते। उसको साथ रखते तथा मोटा कमिशन दिलवाने की आड़ में आवश्यक दस्तावेज उद्यम प्रमाण पत्र, संस्था प्रमाण पत्र, जीएसटी प्रमाण पत्र इत्यादि तैयार करवा कर अपने प्रभाव वाली बैंक में चालू खाता खुलवाते। फिर उस खाते को (कॉरपोरेट इन्टरनेट बैंकिंग) से जोड़ कर खाते से संबंधि दस्तावेज एटीम व सिम लेकर खाताधारक के बिना जानकारी के लेनदेन करते थे। फिर उस खाते में जितना भी ट्रांजेक्शन होता उसमें अपना 10 प्रतिशत हिस्सा टेलीग्राम आईडी तथा डाउनलोड एप के द्वारा प्राप्त कर लते थे। खाताधारक को पता चलने से पहले ये लोग उस खाते से रूपये हड़प लेते थे। जिसके बाद धटना में प्रयुक्त मोबाईल बन्द कर या सिम निकाल कर धटना स्थल से फरार हो जाते थे। इस प्रकार का मामला सामने आया है।

गिरफ्तार मुल्जिमों का विवरण:—

1. महेश किडेचा पुत्र श्री हसमुख भाई जाति कुम्हार उम्र 25 साल निवासी गावं भाचा पुलिस थाना उना ज़िला गिर सोमनाथ गुजरात हाल फ्लेट सी 602 ऋतुराज रेजीडेंसी पुलिस थाना अमरोली ज़िला सूरत गुजरात।
2. चन्द्रकान्त पुत्र श्री रामजी भाई जाति राजपुत उम्र 31 साल निवास वाड़ी विस्तार कंसारी पुलिस थाना उना जिला गिर सोमनाथ गुजरात।

कार्यवाही में शामिल टीमः—

01. श्री जयराम मुण्डेल सहायक पुलिस आयुक्त, साईबर थाना
02. श्री दिनेश डांगी नि.पु., साईबर थाना
03. श्री कानसिंह सहायक उपनिरीक्षक, साईबर थाना
04. श्री पुनीत गहलोत सहायक प्रोग्रामर, साईबर थाना
05. श्री नरपतसिंह कानि. 1767, साईबर थाना
06. श्री महिपाल कानि. 2550, साईबर थाना
07. श्री महेन्द्र कानि. 2987, साईबर थाना

सहायक पुलिस आयुक्त,
साईबर पुलिस थाना
आयुक्तालय जोधपुर।

आरोपीगण का फोटोः—